पत्रांक–भवन / बजट–54–विविध–(समाज कल्याण)–01 / 2023–24............1295(अ)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक.) बिहार।

वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक – 6/2/26

विषयः– समाज कल्याण विभाग के विभिन्न कार्यो के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल **₹ 14,75,296 / – (चौदह लाख पचहत्तर हजार दो सौ छियानवे रूपये)** मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल संख्या–1, पटना के द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में समाज कल्याण विभाग के कार्यो के क्रियान्वयन हेतु निम्न विवरणीनुसार कुल **₹ 14,75,296 / – (चौदह लाख पचहत्तर हजार दो सौ छियानवे रूपये)** मात्र के व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रदान की जाती हैः–

क्र. सं	प्रमंडल का नाम	अधियाचना आई0 डी0	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या / दिनांक	वर्ष 2025–26 में व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1.	केन्द्रीय भवन प्रमंडल संख्या–1, पटना।	29378	S/R with addition and alteration to E.I. in Minister Chamber, Anti Room & Cell of Samaj Kalyan Vibhag at 1st Floor Old Sectt, Patna	99 / 08.07.2025	₹ 7,17,895 / – (सात लाख सत्रह हजार आठ सौ पंचानवे रूपये)
2.		29379	SITC of Cassette & Split AC Machine in Minister Chamber, Anti Room & Cell of Samaj Kalyan Vibhag at 1st Floor Old Sectt, Patna		₹ 7,57,401 / – (सात लाख संतावन हजार चार सौ एक रूपये)
कुलः–					**14,75,296 / –**

(चौदह लाख पचहत्तर हजार दो सौ छियानवे रूपये)

2 उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या–03 के मुख्यशीर्ष–2059–लोक निर्माण कार्य, उपमुख्यशीर्ष–01–कार्यालय भवन, लघुशीर्ष–053–रख रखाव तथा मरम्मति, उपशीर्ष–0035–समाज कल्याण विभाग के कार्यालय भवन का जीर्णोद्वार से संबंधित **विपत्र कोड–03–2059010530035** के विषय शीर्ष–0035.27.02 अनुरक्षण एवं मरम्मति कार्य अन्तर्गत उपबंधित राशि से वित्तीय वर्ष 2025–26 में किया जाएगा।

3 इस राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल संख्या–1, पटना होंगे।

4 इस राशि के निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।

5. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमती एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

6. स्वीकृत राशि के विरूद्ध आवंटन की कार्रवाई सी. एफ. एम एस. से की जा रही है।

(राजेश कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।